"खाता दुरूस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़

विषय – राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम ओझाड़ी की जमाबन्दी वर्ष 2015 से 2018 के खाता संख्या 657 में पुत्र प्रार्थी का मीना पुत्र हड़ोगा गाड़री दर्ज रिकार्ड है जबकि दस्तावेजों में मीना पुत्री हड़ोगा गाड़री दर्ज है अतः राजस्व रिकार्ड में मीना पुत्री हड़ोगा गाड़री दर्ज करवाने की कृपा करें। अतः दुरूस्ती किये जाने के आदेश करवाने की कृपा करें।

10/12/2024

प्रार्थी
मीना

रिपोर्ट पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक

ग्राम ओझाड़ी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2018 के खाता संख्या 657 में प्रार्थी का नाम मीना S/o हड़ोगा गाड़री दर्ज है। जबकि मुताबिक सहायक दस्तावेज में खातेदार के पुत्रों के अतिरिक्त का सही नाम मीना D/o हड़ोगा गाड़री है जो संशोधित किया जाना उचित है।

मीना की जगह मीना पेश है।

पटवारी 19/12/2024
पटवार हल्का ओझाड़ी

19/12/24 हमीरगढ़
भू-अभिलेख निरीक्षक

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 138 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी ओझाड़ी व भू-अभि. हमीरगढ़ एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के अनुसार ग्राम ओझाड़ी की जमाबन्दी सम्वत 2015-2018 के खाता संख्या 657 में प्रार्थी का नाम मीना पुत्र हड़ोगा गाड़री के स्थान पर मीना पुत्री हड़ोगा संशोधित किये जाने हेतु अभिलेखों की जाँच की।

18/12/24

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

पूर्वाधिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम ओझाड़ी जमाबन्दी सम्वत 2015-2018 खाता संख्या 657 में दर्ज प्रार्थी का नाम मीना पुत्र हड़ोगा के स्थान पर मीना पुत्री हड़ोगा गाड़री संशोधन के आदेश दिये जाते है।

प्रतिलिपि :- T.D.R. हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner